बिहार सरकार,
कृषि विभाग

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–38/09– 3413 /कृ0, पटना दिनांक 2/8/ , 2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप
से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष 2016–17 में 491.0400 लाख रूपये (चार करोड़ एकानवे लाख चार हजार रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए 98.2080 लाख (अंठानबे लाख बीस हजार आठ सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत

निदेशानुसार योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष 2016–17 में 491.0400 लाख रूपये (चार करोड़ एकानवे लाख चार हजार रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए 98.2080 लाख (अंठानबे लाख बीस हजार आठ सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए अनुमंडल, जिला, प्रमंडल स्तर पर क्रमशः अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं संयुक्त कृषि निदेशक जिम्मेवार हैं। राज्य स्तर पर विषय की विशिष्टता के अनुसार संयुक्त कृषि निदेशक एवं उप कृषि निदेशक कार्यरत हैं। विभाग के अधीन भूमि संरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दक्षिण बिहार के जिलों में उप निदेशक, भूमि संरक्षण/सहायक निदेशक, भूमि संरक्षण कार्यरत हैं। पूरे राज्य में पौधा संरक्षण संबंधी विशेषज्ञ जानकारी के लिए भी विभिन्न स्तर पर अधिकारी कार्यरत/जिम्मेवार हैं। इनके अतिरिक्त माप तौल संभाग भी मानक माप तौल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है।

3. कृषि विकास की योजनाओं को गंभीरता से किसानों एवं उनके खेतों तक पहुंचाने के लिए एक कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। भारत सरकार द्वारा भी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं यथा राष्ट्रीय खद्यान्न सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि शुरू की गयी हैं। कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रभावकारी तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए एक सक्षम पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तंत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय तथा मुख्यालय स्तर पर किराया पर वाहन रखने की योजना स्वीकृत की जाती है।

4. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर वाहन की आवश्यकता संबंधित विवरणी अनुसूची–1 पर संलग्न है। विभिन्न स्तर पर वाहन के एक पूल की स्वीकृति दी जाती है ताकि संबंधित मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/ निरीक्षण दल/ जाँच पदाधिकारी/ भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं अन्य गण्यमान्य अतिथियों/माननीय मंत्री को आवश्यकता के अनुरूप पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए वाहन उपलब्ध कराया जा सके।

5. विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिमाह किराया का निर्धारण कृषि निदेशक के द्वारा किया जायेगा। सामान्यतः बोलेरो/सूमो श्रेणी की नन एसी गाड़ी ही किराये पर ली जायेगी। विशिष्ट परिस्थितियों में विभागीय अनुमोदन से उच्चतर श्रेणी की गाड़ियां रखी जा सकती हैं। मुख्यालय स्तर पर वाहन पूल के लिए स्वीकृत राशि का आवश्यकतानुसार उपावंटन क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए किया जा सकता है।

6. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश, ज्ञापांक–3695 दिनांकः 22.08.2013 द्वारा स्वीकृत दर के आधार पर भाड़े के वाहन का मासिक किराया का भुगतान किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भुगतान

करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वाहन का उपयोग विभागीय कार्य के लिए किया जा रहा है। सभी पदाधिकारियों के द्वारा आवश्यकतानुसार ही वाहन रखा जायेगा। स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत बजट उपबंध की सीमा में व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

7. उक्त योजना के लिए स्वीकृत राशि 98.2080 लाख (अंठानबे लाख बीस हजार आठ सौ) रूपये का व्यय बजट शीर्ष ''2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना माँग संख्या–1 उप शीर्ष–0106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड P2401007890106, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR–5022, विषय शीर्ष–13 02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव में वर्ष 2016–17 के लिए उपबंधित 180.00 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

8. आवंटन तथा खर्च नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561 दिनांकः 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0(2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–38/09 के पृ0सं0– 202/टि. पर प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0–38/09 के पृ0सं0– 204/टि. पर दिनांक– 26.07.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु [illegible]) 2/8/16
निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– पी0पी0एम0–38/09 3413 /कृ0, पटना, दिनांक 2/8/ , 2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– पी0पी0एम0–38/09 3413 /कृ0, पटना, दिनांक 2/8/ , 2016

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– पी0पी0एम0–38/09 3413 /कृ0, पटना, दिनांक 2/8/ , 2016

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– पी0पी0एम0–38/09 3413 /कृ0, पटना, दिनांक 2/8/, 2016

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– पी0पी0एम0–38/09 3413 /कृ0, पटना, दिनांक 2/8/ , 2016

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल/अपर निदेशक (शष्य), प्रसार, बिहार, पटना/संबंधित उप निदेशक/संबंधित सहायक निदेशक/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित सहायक निदेशक/संबंधित संयुक्त निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

C:\Users\De\Desktop\Rajyadesh (Cabinet)\Vehicle.doc